कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

UTTARAKHAND

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1116 /36c दिनांक 20 /07/ 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.288 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक सं0 1607/36सी0 दिनांक 10.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है–

क्रम सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	शर्त सं0 01 का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– **क–** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 576 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशाधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **ख–** राज्य सरकार पौधोरोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। **ग–** रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा। शर्त मान्य है। शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त सं0 04 का अनुपालन किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्यः– क– इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) सं0 202/1995 मे IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.032008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 मे जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.288 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख–विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय	शर्त मान्य है।

Scanned with OKEN Scanner

	द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेडो की कटाई का न्यूनतम कर देगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 24 पेड से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेषण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सं0 6 में वाछिंत धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।
7	State Govt will inform this office of they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाऐंगे।	अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला क्लेकटर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0 9 एफ0आर0ए0 2006 में में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार अनुपालन किया गया है।
10	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे।	शर्त मान्य है।
11	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयागकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की सख्या बढ़ाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों का राज्वीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुगति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेरिया विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नही की जाएगी।	शर्त मान्य है।
20	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लवन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2019 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त मान्य है।

Scanned with OKEN Scanner

22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग क पर्यवेषण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेबारी होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/)पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

संलग्नः–

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक /36 सी0 दिनांकित / /

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-03-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6129385686
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/47/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	1086624/-

Amount in Words :Ten Lakh Eighty-Six Thousand Six Hundred and Twenty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896129385686 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

भारतीय स्टेट बैंक, थराली
15 MAR 2022

Executive Engineer
Cons. Divi. - P.W.D
Tharali (Chamoli)
15/3/22

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
थराली

Scanned with OKEN Scanner

Attachement 1.6

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated-10-08-2017

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.288 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Dewal-Mundoli Motor Road to G.I.C. Mundoli Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Mundoli village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.288 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

10/8/17

(Asheesh Joshi)

जिलाधिकारी

चमोली

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri Asheesh Joshi deputy commissioner, on dated 10-08-2017. at time 16:00 HRS......at Chamoli in which application claiming rights in Mundoli area measuring 0.288 hect for the Construction of Dewal-Mundoli Motor Road to G.I.C. Mundoli Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Gopeshwar

Dated:..10-08-2017

10/8/17

(Asheesh Joshi)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिलाधिकारी
चमोली

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :— देवाल—मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.288 हे0 वन पंचायत, कुल 0.288 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.288 हे0 (........... हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, ~~अर्थात~~ 0.288 कुल 0.288 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 21/6/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चन्दन सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री चन्दन सिंह उपजिलाधिकारी ——————अध्यक्ष

2— श्री गोपाल सिंह बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी——————सदस्य

3— श्री उदय कुमार जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी—सदस्य/ सचिव

4— श्री मदन सिंह पठाकी बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

5— श्री .... बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

6— श्रीमती कलावती देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

(उपजिलाधिकारी थराली; वन क्षेत्राधिकारी मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली; सहा0 समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड—थराली/देवाल जिला—चमोली; मदन सिंह पठाकी ... पंचायत सदस्य ... विकास खण्ड—देवाल (चमोली); क्षेत्र पंचायत ग्वालदम II ... थराली (चमोली) — stamps)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किबगड़ीगाड़—धुराधारकोट—बांक—पिनाऊ मोटर मार्ग के परियोजना हेतु .... हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ....थराली..........परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.288 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :– देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.288 हे0 वन पंचायत, कुल 0.288 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ––––––––

तहसील – थराली, जनपद – चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग हेतु (0.288 हे0 वन पंचायत, भूमि) अर्थात कुल 0.288 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...मु-दोली... द्वारा दिनांक.......... 3.5.15..........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत मु...
ह0...Kamla...
वि0ख0 देवाल (चमोली)

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Attachement 1.6 (D)

दिनांक 3.5.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	पूरनराम	Puran
	विजयासिंह	Vijaisingh
	मदनसिंह	Madan

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]

[illegible]

[illegible]ख० देवाल ([illegible])

ह0/-

ग्राम प्रधान

Attachement 2.37

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.288 हे0 वन पंचायत, कुल 0.288 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

खण्डीय अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

थराली, (चमोली)